

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245527
SG-DL-E-28042023-245527असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 39
No. 146]	DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945	[N. C. T. D. No. 39

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सं. फा. 1/आईटीआई(5)/आरआर/2021/1041.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 8.8.1969 की अधिसूचना फा. 2(13)/68—सेवाएं—II/द्वारा अधिसूचित स्टोर अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों तथा दिनांक 2 जनवरी, 2014 की अधिसूचना फा. सं. 36(26)/प्रशि0प्रशा0/2008 द्वारा अधिसूचित उत्तरवर्ती संशोधन के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण में की गई या किए जाने के लिए हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग में स्टोर अधीक्षक के पद की भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :—(i) इन नियमों को स्टोर अधीक्षक भर्ती नियमावली, 2023 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कहा जायेगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की भावित** :— जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
स्टोर अधीक्षक	* 03 (2023) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह —ग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—5 (29200—92300 /—रुपये)	गैर —चयन	लागू नहीं

7	8	9	10	11
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता।	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर —4 में विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण विंग के स्टोरकीपर। टीपः— जिन कनिष्ठों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर

				ली है और वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं तो उनके वरिष्ठ भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्त कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा आधे से अधिक या दो वर्ष , इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
--	--	--	--	--

12	13
यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ): 1. प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा), रा0रा0क्षे0दि0स0 —अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य 3. उप सचिव (वित्त), रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य टीप : समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के , समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य पदोन्नति पर विचार करने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

आर. एलिस वाज, सचिव

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

Delhi, the 28th April, 2023

No. F. 1/ITI (5)/RR/2021-1041.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R 840 dated the 13th July, 1959 and in supersession of the recruitment rules for the post of Store Superintendent notified vide notification F.2(13)/68-Services-II dated 08.08.1969 and subsequent amendment notified vide notification F.No.36(26)/Trg. Admn./2008 dated 2nd January 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of Store Superintendent in the Training Wing under the Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement:- (i) These rules may be called the Store Superintendent Recruitment Rules, 2023 Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. Method of Recruitment, Age limit and other qualification:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications:- No person,

- (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax:- Where the Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age limits for Direct Recruits
Store Superintendent	03* (2023) Subject to variation or dependent on Work load*	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group C.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-).	Non-Selection	Not applicable

7	8	9	10
Educational and other qualification for direct recruits	Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment/ promotion/deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

11	12	13
In case of recruitment By promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation / absorption to be made	If DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment
Promotion:- Storekeeper of Training Wing under the Department in Level-4 in the Pay Matrix with 5 years' of regular service in the grade. Note:- Where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion): 1. Principal Secretary/ Secretary (Power) GNCT Delhi – Chairman 2. Head of the Department concerned – Member 3. Dy. Secretary (Finance) GNCT of Delhi – Member.	Not Applicable

qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.	Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering Promotion shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.	
--	---	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy.